COVID-19 (URGENT)

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा), बाड़मेर

क्रमांक : प. 35( )( )आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/1588 दिनांक : 10/04/2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) एवं संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO)द्वारा कोरोना वाइरस (कोविड–19) संक्रमण को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। शासन सचिव, अध्यक्ष राज्य स्तरीय कमेटी आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान के आदेश क्रमांक 4455 जयपुर दिनांक 09.04.2020 के द्वारा कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु दिशा–निर्देश प्राप्त हुए हैं। जिसके द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की गाईड लाईन के अनुसार 'Social Distancing' बनाये रखने के साथ मुंह पर मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। उक्त आदेश की पालना में बाड़मेर जिले के सभी नागरिक व राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र. के व्यक्तियों जो कि नगर निकाय क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं या कार्यरत हैं, के संबंध में निम्न प्रकार से आदेश दिये जाते है:–

1 सभी व्यक्ति किसी भी प्रयोजन या किसी भी कारण या अधिकारिता से सार्वजनिक स्थानों जैसे कि गलियां/मार्गों/चिकित्सालयों/कार्यालयों/बाजारों में मास्क या कपड़े से निर्मित मास्क आवश्यक रूप से लगाऐंगे।

2 कोई भी व्यक्ति जो कि निजी या कार्यालय के वाहन पर भ्रमण करेंगे उन्हें भी यह मास्क पहनना आवश्यक होगा।

3 कोई भी व्यक्ति जो किसी भी स्थान/कार्यालय/कार्यस्थल पर कार्य कर रहा है उसको उपरोक्त मास्क पहनना आवश्यक होगा।

4 मास्क दवा विक्रेता के पास उपलब्ध निर्धारित मापदण्ड के अनुसार या घर पर बनाये हुये धोने योग्य मास्क भी हो सकते हैं एवं वापस धोकर/निसंक्रमित किये जाने के पश्चात पुनः उपयोग में लिये जा सकते हैं।

5 संबंधित नियोक्ता का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके यहां कार्यरत कार्मिक मास्क या कपड़े से निर्मित मास्क आवश्यक रूप से उसके परिसर में धारण करेंगे।

6 कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे धारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना किये जाने हेतु बाड़मेर जिले के समस्त जिला स्तरीय अधिकारी अपने अपने विभाग के अधीन कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उपर्युक्त आदेश की अक्षरशः पालना करवाना सुनिश्चित करावें। उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, वृताधिकारी पुलिस, राजस्व निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, नगर परिषद, सचिव, मण्डी समिति के अधिकारी एवं इनसे संबंधित उच्च अधिकारी इन आदेशों की कठोरता से पालना कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर,
आ.प्र.सहा. एवं नागरिक सुरक्षा
बाड़मेर

क्रमांक : प. 35( )( )आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/1589-1623 दिनांक : 10/04/2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित है

1 पुलिस अधीक्षक बाड़मेर

2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाड़मेर

3 उपखण्ड अधिकारी समस्त

COVID-19 (URGENT)

4 प्रभारी अधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष कोविड–19 बाड़मेर
5 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर
6 जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर
7 प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम लि0 बाड़मेर
8 अधीक्षण अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बाड़मेर
9 अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग बाड़मेर
10 अधीक्षण अभियन्ता/अधीशाषी अभियन्ता जोधपुर विद्युत वितरण निगम बाड़मेर
11 उप वन संरक्षक, वन विभाग, बाड़मेर
12 संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग बाड़मेर
13 जिला दूर संचार प्रबंधक BSNL बाड़मेर
14 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर
15 अधीक्षक प्रधान डाकघर बाड़मेर
16 उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा बाड़मेर
17 उप समादेष्टा गृह रक्षा दल बाड़मेर
18 मुख्य आगार प्रबंधक बाड़मेर रोड़वेज डिपो, बाड़मेर
19 जिला वाणिज्यिक कर अधिकारी बाड़मेर
20 जिला परिवहन अधिकारी बाड़मेर/बालोतरा
21 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा बाड़मेर
22 तहसीलदार/नायब तहसीलदार समस्त बाड़मेर
23 विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त बाड़मेर
24 सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बाड़मेर
25 आयुक्त नगर परिषद बाड़मेर/बालोतरा
26 सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति समस्त बाड़मेर
27 सहायक निदेशक जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय बाड़मेर

जिला कलक्टर,
आ.प्र.सहा. एवं नागरिक सुरक्षा
बाड़मेर

Relief
Issue press note of order
10/4/20

Government of Rajasthan
Disaster Management, Relief & Civil Defence Department

F8()DMRD/DM/2020/4455-62
10/4

Dated: 9/4/2020

ORDER

Whereas, State Executive Committee is satisfied that the State is threatened with the spread of COVID-19 epidemic, which has already been declared as a pandemic by the World Health Organisation and has considered it necessary to take effective measures to prevent its spread in the State of Rajasthan.

And whereas, Govt of India has notified lockdown all over India, including the State of Rajasthan, w. e. f. 25th March, 2020 till midnight of 14th April 2020 to curb the menace of "COVID-19".

And Whereas, it is imperative to **strictly observe the lockdown and isolation measures** to contain the spread of COVID-19 in the State of Rajasthan.

And whereas it has been observed in some studies that wearing of facial masks can reduce the spread of corona virus substantially, from and to persons coming in contact with each other, apart from compulsory social distancing measures.

And whereas it has become imperative that in the larger public interest, wearing of mask by any person who is moving in any public place is made essential

Now, therefore, in exercise of powers conferred under Section 22 of the Disaster Management Act, 2005, the undersigned, in his capacity as Chairperson, State Executive Committee hereby directs that in all Municipal areas as well as travel to and from and within the precints of notified Mandis in State, the following measures be complied with

1. All persons moving for whatsoever purpose and under whatever reason/authority in public places, like street, hospital, office, markets must wear 3-ply mask or cloth mask compulsorily
2. Any person moving around in his personal and official vehicle must be wearing these masks compulsorily.
3. Any person working at any site/office/workplace must wear the masks as mentioned above.
4. These masks may be standard masks available with the chemist or even homemade washable masks and can be reused after proper washing and disinfecting them.

It shall be the responsibility of the employer to ensure that his/her employees wear the 3-ply mask or cloth mask without fail within the employers' premises.

Anybody violating this order will be punishable under the section 188 of Indian Penal Code (48 of 1860) and will be strictly penalised.

DM, ADM, SDM, Tehsildar, Nayab Tehsildar, Sub Inspector of Police and above, Revenue Inspector/Sanitory Inspector and above officers of Urban Local Body and Secretary Mandi are empowered to enforce the order.

This order shall come into force with immediate effect.

Chief Secretary and Chairperson
State Executive Committee

कार्यालय जिला कलक्टर
प्राप्ति क्रमांक 4085
दि. 10-4-20

Copy to following for information and necessary action:

1. Special Assistant, Minister, Disaster Management and Relief, Rajasthan.
2. All ACS/Pr. Sec/Secretaries, Government of Rajasthan
3. Principal Secretary to C.M., Rajasthan, Jaipur
4. D.G.(P)/IG/DIG Range, Rajasthan.
5. All Divisional Commissioners, Rajasthan
6. All District Collectors, Rajasthan
7. All District SPs
8. Sr. D.S to CS

Scanned by CamScanner